न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

पुनः सुनवाई प्रार्थना पत्र, म्यूनिसिपल अपील सं. 72/2010(65/2005)

उनवान

1. औमप्रकाश पुत्र स्व0 श्री रामविलास जाति मून्दडा निवासी गली नं0–6, प्रतापनगर, ब्यावर जिला–अजमेर
2. श्रीमती बिदामी देवी पत्नि स्व0 श्री रामविलास जाति मून्दडा निवासी गली नं0 6 प्रतापनगर, ब्यावर जिला–अजमेर। .....अपीलान्ट्स

बनाम

1. नगर परिषद, ब्यावर जरिये अध्यक्ष नगर परिषद ब्यावर
2. श्री मदनलाल पुत्र श्री मुकुन्द चन्द जाति बालिया, निवासी 8 बख्तसागर, नेहरू पार्क, जोधपुर।
3. श्री राकेश बालिया पुत्र श्री मदनलाल जी बालिया निवासी 8, बख्तसागर, नेहरू पार्क, जोधपुर।
4. श्री अल्केश मुणोत पुत्र स्वर्गीय श्री विनयचन्द जी मुणोत, जाति जैन निवासी मुणोत मार्केट, कपडा बाजार, ब्यावर जिला अजमेर। .....रेस्पोंडेन्टस

उपस्थित :–

3. श्री लेखू मंघानी अभिभाषक अपीलांट
4. श्री एस.के. सेठी अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट

पुनः सुनवाई प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 21 सपठित धारा 151 सीपीसी

आदेश

दिनांक – 17.8.2022

प्रार्थना पत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा टाटगढ रोड, जय मंदिर ब्यावर के सामने स्थित सम्पति संख्या 8/540 को जरिये पंजीकृत विकय विलेख प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 से कय की गई। इस सम्पति बाबत नगर परिषद ब्यावर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 03 के हक में निमार्ण स्वीकृति जारी की गई। इस निर्माण स्वीकृति के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर में अपील प्रस्तुत की गई। जो बाद में न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर को स्थानान्तरित की गई। उक्त अपील को माननीय न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 23.11.2021 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए एक पक्षीय रूप से निस्तारित करते हुए नगर परिषद ब्यावर द्वारा जारी की गई निर्माण स्वीकृति दिनांक 23.4.2015 को निरस्त करते हुए मौके पर किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये। इसी आक्षेपित आदेश दिनांक 23.11.2021 को निरस्त कर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रत्यर्थी संख्या 4 को सुनवाई व साक्ष्य का पूर्ण अवसर प्रदान कर निर्णित किये जाने का आदेश न्यायहित में प्रदान कराने की इस्तदुआ के यह प्रार्थना पत्र न्यायालय अपर कलक्टर में प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/अपीलान्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। अपीलान्ट/अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं आये। तत्पश्चात् पत्रावली वास्ते सुनवाई नियत की गई। जो बाद में जिला कलक्टर अजमेर के आदेश दिनांक 30.3.2015 की पालना में पत्रावली न्यायालय हाजा में स्थानान्तरित होकर प्राप्त हुई। प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 4 के अभिभाषक द्वारा सुनवाई चाहने पर उपस्थित को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोडेन्ट संख्या 4 द्वारा मुख्यतः कथन किया कि प्रार्थी द्वारा टाटगढ रोड, जय मंदिर ब्यावर के सामने स्थित सम्पति संख्या 8/540 को जरिये पंजीकृत विकय विलेख प्रत्यर्थी संख्या 2 व 3 से कय की गई। इस सम्पति बाबत नगर परिषद ब्यावर द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 03 के हक में निमार्ण स्वीकृति जारी की गई। इस निर्माण स्वीकृति के विरूद्ध अपीलार्थीगण द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर में अपील प्रस्तुत की गई। जो बाद में न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर को स्थानान्तरित की गई। उक्त अपील को माननीय न्यायालय अपर कलक्टर अजमेर द्वारा दिनांक 23.11.2021 को प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 04 की अनुपस्थिति दर्ज करते हुए एक पक्षीय रूप से निरस्तारित करते हुए नगर परिषद ब्यावर द्वारा जारी की गई निर्माण स्वीकृति दिनांक 23.4.2015 को निरस्त करते हुए मौके पर किये गये निर्माण कार्य को ध्वस्त किये जाने के आदेश पारित कर दिये गये। प्रार्थी द्वारा नियुक्त अभिभाषक आवश्यक कारण वश दौराने सुनवाई उपस्थित नहीं हो सके। अपीलान्ट्स/अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में महत्वपूर्ण/सारवान तथ्यों को छुपाया गया है। समान अनुतोष हेतु अपीलान्ट्स द्वारा न्यायालय सिविल जज (क.ख.) बयावर के समक्ष भी एक वाद एवं विविध प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 2.2.2007 द्वारा निरस्त फरमा दिया गया। अपीलार्थीगण द्वारा जिस सुखाधिकार बाबत क्लेम किया गया वह माननीय सिविल न्यायालय द्वारा नहीं माना गया है। अपीलार्थीगण द्वारा जिस जायदाद के संबध में सुखाधिकार उत्पन्न होना व्यक्त किया गया है वह भूखण्ड अपीलार्थीगण द्वारा ही प्रत्यर्थी संख्या 02 से ही कय किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई खिडकी, दरवाजा या ओपनिंग नहीं रखने की शर्त स्पष्टतः आरोपित की गई है। सिविल न्यायालय द्वारा इस जायदाद के संबध में मौका कमिश्नर नियुक्त कर जायदाद की मौका रिपोर्ट भी तलब की गई है। इस जायदाद में हुए निर्माणात किसी भी प्रकार से स्वीकृत मानचित्र के विपरीत नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 23.11.2011 को निरस्त किया जाकर अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर प्रार्थी/प्रत्यर्थी संख्या 04 को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किया जाकर अपील को निर्णित किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी/अपीलार्थीगण का मुख्यतः जवाब कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 04 जानबुझकर तारीख पेशी की जानकारी होते हुए भी वरवक्त बहस अपील उपस्थित नहीं आये। प्रत्येक पक्षकार एवं अभिभाषक का कर्तव्य है कि वह नियत तारीख पेशी पर स्वंय पैरवी करें या अभिभाषक से करावें। प्रत्यर्थी द्वारा दौराने बहस अनुपस्थित रहने का कोई समुचित, विधिक कारण भी नहीं बताया गया है। एक पक्षीय कार्यवाही कर अपील सुनवाई के कथन मिथ्या है। प्रत्यर्थी संख्या 04 द्वारा प्रकरण में दिनांक 19.5.2006 को लिखित बहस प्रस्तुत की हुई है। अतः सुनवाई का मौका प्रदान नहीं किये जाने के

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

कथन सर्वथा मिथ्या एवं गैर कानूनी है। चूंकि प्रत्यर्थी द्वारा स्वीकृत नक्शे के विरुद्ध जाकर निर्माण व अतिक्रमण किया गया है। इसी कारण नक्शा निरस्त किया जाने एवं निर्माण ध्वस्त किये जाने का आदेश पारित किया गया है। अतः प्रार्थी के विरुद्ध पारित अपीलीय निर्णय सर्वथा तात्थिक व विधिक होने से यथावत रखने योग्य है। अतः प्रार्थी रेस्पों संख्या 04 द्वारा प्रस्तुत समस्त कथन तर्क विहीन, मनगढन्त मिथ्या व गैर कानूनी होने से न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय विशेष खर्चा हर्जाना रूपया दस हजार के दिलाये जाने के आदेश के निरस्त किया जावे।

हमने उभय पक्ष के कथनों पर ध्यानपूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली एवं आदेश 41 नियम 21 का अवलोकन किया। इस बाबत स्पष्ट किया गया है कि **"वह अपीलीय न्यायालय से अपील को पुनः सुनने के लिए आवेदन कर सकेगा यदि वह न्यायालय का समाधान कर देता है कि सूचना की तामिल सम्यक् रूप से नहीं की गई थी, वह अपील की सुनवाई की पुकार होने पर उपसजांत होने से पर्याप्त हेतुक से निवारित हो गया था।"** चूंकि मौजूदा मामले में प्रार्थी/प्रत्यर्थी को अपील के सम्मन सम्यक रूप से तामिल हुए है उनकी ओर से अभिभाषक नियुक्त होकर उनके द्वारा जवाब एवं लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई है। प्रार्थी/प्रत्यर्थी/अभिभाषक के वर वक्त बहस उपस्थित नहीं होने सम्बन्धी समुचित कारण भी प्रकट नहीं है। लिहाजा प्रार्थी/प्रत्यर्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 21 स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने से इसी स्तर पर इसी कदर से निरस्त किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 17.8.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर